



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3228]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 28, 2019/आश्विन 6, 1941

No. 3228]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 28, 2019/ASVINA 6, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2019

सं. 75 /2019

का.आ. 3539(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(अधिनियम) की धारा 139क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2019 के का.आ.सं.1495(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 31 मार्च, 2019, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना में संशोधन करती है।

2. उपरोक्त अधिसूचना में:-

- पैराग्राफ 1 में 30.09.2019 के स्थान पर **31 दिसम्बर, 2019** प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- पैराग्राफ 3 में 30.09.2019 के स्थान पर **31 दिसम्बर, 2019** प्रतिस्थापित किया जाएगा;

[फा. सं. 225/75/2019-आईटीए-II]

राजाराजेश्वरी आर., अवर सचिव

टिप्पणी : मुख्य अधिसूचना सं. 31/2019, दिनांक 31 मार्च, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में, का.आ.सं. 1495(अ) दिनांक 1 अप्रैल, 2019 में प्रकाशित किया गया था।